न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA087 Khinvsingh etc Vs Patasee etc

1. खींवसिंह पुत्र अभयसिंह पौत्र बुद्धा उर्फ बुद्धसिंह जी
2. अर्जुनसिंह पुत्र अभयसिंह पौत्र बुद्धा उर्फ बुद्धसिंह जी
3. छोटुसिंह पुत्र अभयसिंह पौत्र बुद्धा उर्फ बुद्धसिंह जी

समस्त जाति रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम पीलवा तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. पतासी पुत्री स्व. बुधा उर्फ बुधसिंह पत्नी मूलसिंह रावणा राजपूत निवासी पीलवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर हाल निवासी गांव तिंवरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
2. कमला पुत्री स्व. बुधा उर्फ बुधसिंह पत्नी मूलसिंह रावणा राजपूत निवासी पीलवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर हाल निवासी गांव तिंवरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
3. भंवरी पत्नी रिडमलसिंह पुत्री कासी रावणा राजपूत, निवासी पेट्रोल पम्प के सामने रेलवे स्टेशन के पास, तिंवरी, जिला जोधपुर
4. मुन्ना पत्नी अर्जुनसिंह पुत्री कासी रावणा राजपूत, निवासी पेट्रोल पम्प के सामने रेलवे स्टेशन के पास, तिंवरी, जिला जोधपुर
5. संजु उर्फ संजय कंवर पत्नी लालसिंह पुत्री कासी रावणा राजपूत, निवासी पेट्रोल पम्प के सामने रेलवे स्टेशन के पास, तिंवरी, जिला जोधपुर
6. बिशनसिंह पुत्र स्व. बुधा उर्फ बुधसिंह के कायममुकामान --
   a. नारायणी देवी पत्नी स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   b. रेखा पत्नी भंवरसिंह पुत्रवधु स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   c. अजीतसिंह पुत्र भंवरसिंह पौत्र स्व. बिशनसिंह स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   d. शैलेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह पौत्र स्व. बिशनसिंह स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   e. किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह पौत्र स्व. बिशनसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

f. भावना पुत्री भंवरसिंह पौत्र स्व. बिशनसिंह स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

g. लक्ष्मणसिंह पुत्री स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर हाल निवासी सेक्टर-7, कुडी भगतासनी, जोधपुर

h. कौशल्या पत्नी राजूसिंह पुत्री स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी मकान नम्बर 175, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

i. सरला पत्नी श्यामसिंह पुत्री स्व. बिशनसिंह रावणा राजपूत, निवासी कालका माता मन्दिर, टेम्पू स्टेशन के पास, भट्टी की बावडी, जोधपुर

7. दिलीपसिंह पुत्र बंशीसिंह पौत्र बुधा उर्फ बुधसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
8. महेन्द्रसिंह पुत्र बंशीसिंह पौत्र बुधा उर्फ बुधसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
9. इन्द्रसिंह पुत्र अभयसिंह पौत्र बुधा उर्फ बुधसिंह रावणा राजपूत, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
10. आनन्दकंवर पत्नी अभयसिंह रावणा राजपूत निवासी ग्राम पीलवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
11. चैनाराम पुत्र गोरधनराम मेघवाल निवासी ग्राम पीलवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
12. भैराराम पुत्र गोरधनराम मेघवाल निवासी ग्राम पीलवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
13. लाली पत्नी भेराराम मेघवाल निवासी ग्राम पीलवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
14. युको बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक ग्राम पीलवा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर
15. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार लोहावट

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 01 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 50/2017 पतासी व अन्य बनाम बिशनसिंह के कायममुकामान इत्यादि

----- 0 -----

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 5,
श्री नरपतसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-रेस्पो. सं.6/1 से 6/9, 8, 11, 13
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 15

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसम्बर 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2017 पतासी व अन्य बनाम बिशनसिंह के कायममुकामान में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मई 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष वादिनीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 92ए एवं 53 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम पीलवा तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 2077 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 2079 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 2422 रकबा 9 बीघा एवं खसरा संख्या 2075 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा के संबंध में पेश कर उक्त आराजियात वक्त सेटलमेण्ट मूल खातेदार बुधा पुत्र गोरखा कौम दरोगा साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज होना, उक्त बुधा पुत्र गोरखा के देहान्त के समय ईमरती (पत्नी), तीन पुत्र अभयसिंह (अपीलाण्ट्स संख्या 1 से 4 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 5 के पति), विशनसिंह (रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

-प्रतिवादी संख्या एक), बंशीसिंह (रेस्पो.-प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता) तथा 3 पुत्रियां पतासी (रेस्पो. संख्या एक), कमला (रेस्पो. संख्या दो) एवं कासी (रेस्पो. संख्या 3 से 5 की माता) कुल सात वारिसान थे। मगर फौतेदगी म्युटेशन मात्र बुधा पुत्र गोरखा के तीन पुत्रों के ही नाम स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजियात बुधा के तीन पुत्रों के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियों का भी हक-हिस्सा उक्त आराजियात में बुधा के पुत्रों के समान ही बनता है। वाद में यह भी जाहिर किया गया कि उक्त आराजियात में से कुछ आराजियात बिशनसिंह द्वारा भेराराम को एवं बंशीसिंह द्वारा चैनाराम को पंजीबद्ध विक्रय विलेख द्वारा बेचान भी किया जा चुका है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वादिनीगण को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दर्ज किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी, मगर वाद-पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी से सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प, तहसील कार्यालय लोहावट जिला जोधपुर में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 फॉलोअप कैम्प के तहत पेश हुई तो अपीलाण्ड्स-प्रतिवादीगण कसे सूचित किये बिना और सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त वाद जरिये निर्णय एवं डिकी दिनांक 09 जुलाई 2016 को वादिनी-रेस्पो. के पक्ष में निर्णित कर दिया गया।जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 56/2016 इन्द्रसिंह व अन्य बनाम पतासी इत्यादि पेश की गयी, जो दिनांक 16 जनवरी 2017 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रतिवादीगण को जबाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित करते हुए दावे एवं जबाब के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर तनकियात कायम की जावे एवं तदनुसार पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के उक्त निर्णय की अनुपालना में पुनः वाद संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और प्रतिवादीगण से जबाबदावा प्राप्त होने पर तनकियात कायम की गयी तथा पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मई 2018 पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपीलमीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री आधारहीन है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा, माप एवं सीमाकंन के आधार पर बंटवारा, रिकार्ड दुरुस्ती और स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय विभाजन के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। वादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि में समस्त वादीगण का ⅔ हिस्सा है, ऐसी स्थिति में जब तक उक्त ⅔ हिस्सा विधिवत माप एवं सीमांकन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अनुरूप विभाजन की कार्यवाही कर अलग किया जाकर वादीगण के खाते में दर्ज नहीं किया जाता, और मौके पर अलग भौतिक कब्जा नहीं दे दिया जाता, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव एवं व्यावहारिक नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के काउण्टर क्लेम को बिना कोई कारण एवं आधार स्पष्ट किये अस्वीकार करने में भी गम्भीर भूल की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही तनकियात का निस्तारण किया गया है। वादीगण की इस्तदुआ के विपरीत जाकर वाद को स्वीकार करते हुए प्रत्येक वादी को वादग्रस्त आराजी के मांगे गये 1/7 हिस्से की बजाय 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है, जबकि सन् 2005 के पूर्व पुत्रियों का पुश्तैनी सम्पत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सा नहीं होता था। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार ग्राम पीलवा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के क्षेत्राधिकार में आ गया था और पत्रावली को वहाँ भेजा जाना आवश्यक था, मगर इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। जिनकी समुचित समय में अपीलादु को कोई जाकारी एवं भान नहीं हो सका। राजस्व अभियानों के समापन के बाद जब अपीलाण्ट्स की ओर से तारीख-पेशी का पता किया गया, तो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत जानकारी हुई और तब 05 जुलाई 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल के लिए आवेदन किया और बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी गयी, साथ में भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर दिया, जो स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि दावा के शीर्षक में

किन-किन धाराओं का उल्लेख किया गया है अथवा शीर्षक में संक्षिप्त में चाहे गये अनुतोष की बजाय मूल दावे में चाहा गया अनुतोष ही मुख्य रूप से पढा जावेगा। मूल दावे में विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में सही निर्णय पारित किया गया है। प्रदर्श-एक खतौनी बंदोबस्त से मूल खातेदार बुध पुत्र गोरखा पसायतादार होना स्पष्ट है अर्थात वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक भूमि होने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। पुत्रियों को पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2018(2) आरआरटी 976 (एससी) की नजीर पेश की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनंन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से विदित होता है कि वाद प्रस्तुत किये जाने के समय वादिनीगण की माता जीवित थी, अतः उनके द्वारा प्रत्येक वादिनीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/7 हिस्सा क्लेम किया गया था, वाद विचारण के दौरान उनकी माता का देहान्त हो गया, इस कारण वादग्रस्त आराजी में हिस्सेदारान की संख्या एक कम हो जाने से प्रत्येक वादिनीगण का हिस्सा 1/7 की बजाय 1/6 मान कर वाद की कार्यवाही सम्पादित की गयी है, जो सही है। इससे निर्णय में पक्षकारान के हिस्सों बाबत किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत औपचारिक रूप से माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है, इस कारण जब तक पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि का विधिवत बाई मीटस एण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाउण्डस के आधार पर औपचारिक बंटवारा का अभाव है, स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया जाना असम्भव है। आलौच्य मामले में दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कुल 11 तनकियात कायम की गयी थी, जिनमें से **तनकी संख्या एक विवादग्रस्त भूमि ग्राम पीलवा तहसील लोहावट के खसरा संख्या 2077 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 2079 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 2411 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 2075 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा भूमि की वादिनी के पिता बुधा की पैतृक पुश्तैनी भूमि होने से प्रत्येक वादिनी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण के साथ घोषित किया जावे?** को साबित करने का दायित्व वादीगण पर रखा गया। इस तनकी का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त **प्रदर्श-एक** के आधार पर वादग्रस्त भूमि बुधा पुत्र गोरखा की पसायतेदारी की होना मानते हुए तथा चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावा में वादिनीगण को बुधाकी जाईन्दा पुत्रियां होने के तथ्य का खण्डन नहीं करने के आधार पर वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि और उक्त वादिनीगण का भूमि का में जन्म से उत्तराधिकार के आधार पर हक-हकूक होना स्वीकार करके किया हे। **उल्लेखनीय है कि इस धारणा के आधार पर वादग्रस्त आराजी इन पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं सहकाश्त की भूमि माना जा सकता है जिसका विधिवत औपचारिक तौर पर पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवारा आदिनांक तक नहीं हुआ है।** अतः तनकी संख्या एक बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष इस प्रकार संशोधित करते हुए यह तनकी वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकी संख्या एक के बाबत पारित निर्णय, प्रदर्श-1 के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श-2 जो कि मूल खातेदार बुधा पुत्र गोरखा के देहान्त पर उसके पुत्रों के पक्ष में वादग्रस्त आराजी बाबत भरा गया म्युटेशन है, को वादिनीगण के हितो के खिलाफ शून्य प्रभावी मानते हुए तनकी संख्या दो **ग्राम पीलवा के विरासत नामांतरकरण संख्या 663 को वादिनी के हितों के विरुद्ध अप्रभावी व शून्य घोषित किया जावे?** का निस्तारण भी वादिनीगण के पक्ष में पारित किया है। इससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या तीन **प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे कि वादिनी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें और न किसी अन्य से करावें? जिम्मे वादीगण** इस तनकी संख्या तीन का निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनीगण के पक्ष में किया गया है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया है कि स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष मात्र एक रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार के पक्ष में दिया जा सकता है। आलौच्य मामलें में वादिनीगण विगत कई वर्षो से अपने ससुराल में ही निवास करती है और वादग्रस्त आराजी बाबत उनके पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा आलौच्य निर्णय के जरिये हुई है। किसी प्रकार से संयुक्त खातेदारी की भूमि का पक्षकारान के मध्य कोई औपचारिक विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स होना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। वर्तमान वाद में भी धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा गय है। इन परिस्थितियों में वादीगण के पक्ष में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत स्थायी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया जाना कतई सम्भव नहीं है। अतः तनकी संख्या तीन का निस्तारण वादिनीगण के खिलाफ किया जाता है।

तनकी संख्या चार **वादिनी का कब्जा काश्त नहीं होने से वादिनी का दावा खारिज किये जाने के काबिल है?** जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनीगण ने अपना दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु चाहा है। वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा उनके भाईयों के साथ ही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी वादिनीगण के पक्ष में निर्णित की गयी है। अदालत हाजा इससे पूर्णतः सहमत नहीं है, अपितु धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा तक यह तनकी वादिनीगण के पक्ष में निर्णित की जा सकती है, मगर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष तब ही प्रदान किया जा सकता है, जब कि वादिनी पक्ष का पृथक कब्जा काश्त हो। प्रकरण की परिस्थितियों के मद्देनजर अधिक से अधिक वादिनीगण का पुश्तैनी भूमि में हक निहित होने के फलस्वरूप संयुक्त कब्जा माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में वादिनीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88 चलने योग्य तथा धारा 188 का दावा नहीं चलने योग्य पाया जाता है।

तनकी संख्या 5 : प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 को ⅓ हिस्से का खातेदार राजस्व रेकर्ड से अलग दर्ज किया जावे?

तनकी संख्या एक से चार के निर्णय के आधार पर तनकी संख्या 5 का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ पारित किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या 6 वादिनी प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 की ⅓ हिस्से में किसी प्रकार की दखल न स्वयं करे न किसी अन्य से करावें?

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकी संख्या 5 के निर्णय के आलोक में तनकी संख्या 6 का निर्णय प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वाभाविक रूप से हो जाता है।

तनकी संख्या 7 आया प्रतिवादीगण की वादीगण स्व. बुद्धां की संयुक्त परिवार की न तो सदस्य रही है और ना सहदायिकी रही है?

वादग्रस्त आराजियात में उत्तराधिकार के आधार पर वादिनीगण का हक-हिस्सा अवश्य बनता है, मगर वे अपने भाईयों के साथ तत्समय संयुक्त परिवार में थी परन्तु सहदायिकी पक्षकारान के मध्य होना आलौच्य मामले में नहीं पाया जाता है। अतः तनकी संख्या 7 वादिनीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8 आया प्रतिवादीगण व वादिनीगण की मौखिक सहमति से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 663 को प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 के विरुद्ध खारिज करवाने की वादिनीगण अधिकारिणी नहीं है?

मामले में किसी प्रकार की मौखिक स्वीकृति का अस्तित्व साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं हो जाता है। जब मौखिक स्वीकृति का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो पाया है तो उसके आधार पर अन्य कोई कार्यवाही किये जाने अथवा नहीं किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस तनकी बाबत किसी प्रकार की कोई व्यवस्था दिया जाना व्यावहारिक नहीं है। निष्कर्ष है कि यह कथित सहमति के अभाव में प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 के विरुद्ध निर्णित होने लायक है और इसी अनुरुप निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 9 आया प्रतिवादीगण की वादिनीगण द्वारा प्रस्तुत दावा में भूमि के खरीददारों को आवश्यक पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने एवं दावा कुसंयोजन के कारण खारिज काबिल है?

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले में भूमि के केता पहले से ही पक्षकार है, संम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामले में जो भी निर्णय पारित होगा, उससे केता भी उसी प्रकार आबद्ध रहेगा जिस प्रकार विकेता आबद्ध होगा। ऐसी स्थिति में जब विकेता मामले में पक्षकार है तो उस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि केतागण को आवश्यक पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने एवं दावा कुसंयोजन के कारण काबिल खारिज है। अतः तनकी संख्या 9 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 10 आया वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है?

उपरोक्त समस्त तनकियात के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में यह वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है। अतः तनकी संख्या 10 का निस्तारण वादिनीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ किया जाता है।

तनकी संख्या 11 अनुतोष - उपरोक्त समस्त तनकियात बाबत किये गये विवेचन एवं प्रदत्त निष्कर्षो के आलोक में वादिनी का दावा धारा 88 के तहत चाहे गये अनुतोष की सीमा तक स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है, जो स्वीकार किया जाता है, मगर धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत चाहे गये अनुतोष बाबत वादिनीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार खारिज किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मई 2018 संशोधित करते हुए वादिनीगण प्रत्येक को वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 2077 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 2079 रकबा 15 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

01 बिस्वा, खसरा संख्या 2422 रकबा 9 बीघा एवं खसरा संख्या 2075 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा पीलवा में 1/6 - 1/6 हिस्से यानि संयुक्त रूप से ½ हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है और स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वादिनीगण का दावा खारिज किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/2/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर